

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

निविदा प्रपत्र

विनायल स्टीकर मुद्रण कार्य एवं स्टीकर को
एक हजार ऑटो रिक्शा पर चिपकाकर
प्रचार-प्रसार कार्य हेतु
(वित्तीय वर्ष 2016-17)

निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि-
20-6-2016 दोपहर 2 बजे तक

राजस्थान सरकार
कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फोन नं 0141-2221590)

निविदा आमन्त्रण सूचना

NIB No. 1 /2016-17

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु (वित्तीय वर्ष 2016-17) विनायल स्टीकर मुद्रण एवं ऑटो रिक्शाओं पर चिपकाकर प्रचार-प्रसार करने के लिए दर संविदा हेतु मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमादित लागत लगभग राशि ₹. 9.00 लाख होगी। निविदा प्रतिभूति राशि रुपये 18000/- होगी। निविदा प्रपत्र 500 ₹. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराकर कार्यालय समय में दिनांक 2.6.16 से 20.06.16 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.6.16 को 2.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा sppp.raj.nic.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर (राज0)

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

Technical Bid and eligibility criteria for the bidder

1. Bidder should be an Advertising Agency/ registered society/not for profit organization/Sole proprietorship firm/ partnership firm/ NGO/company.
2. Bidder should have at least one year experience in last three years from the date of submission of bid of IEC and publicity of Govt. projects or creation of social awareness issues/programs for any Govt./ Semi Govt/ private organization.
3. Minimum average annual turnover (in last two financial years 2013-14 and 2014-15) should be Rs. 4.00 lacs. The turnover statement duly certified and signed by Chartered Accountant will be submitted along with Bid.
4. An affidavit to the effect that the bidder has not been bebarred in last three years as on the date of submission of bid by any Govt. Semi Govt. Organisation.

Check List for documents to be submitted

S.N.	Particulars	Enclosed (Yes/NO)
1	Self attested copy of Registration certificate of the bidder's organisation issued by Competent Authority. (for the type of organization mentioned in eligibility criteria)	
2	Experience Certificate/s issued by the Govt./ Semi Govt/Private firms for which bidder has worked for.	
3	Turnover Certificate issued by a Chartered Accountant as per eligibility criteria.	
4	Attested Copy of PAN & service tax registration.	
5	Technical undertaking as per Bid Document.	
6	Affidavit that firm is not debarred as mentioned in eligibility criteria.	
7	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
8	Annexure-B (Statement of annual turnover)	
9	Annexure-C (Statement of Past supplies & performance)	
10	Annexure-D (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
11	Financial undertaking as per Bid Document.	
12	Details of the Bidder firm	
13	Bid Security Detail	

Rajasthan State Health assurance Agency, Rajasthan

Technical Bid

Details of Bidder

Notice No.....

Bid security :- Rs.

1.	Name of the Firm		
2.	Telephone No.	(Off.) _____	(Fax.) _____
3.	Mobile No.		
	E mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whether/Proprietorship /Partnership/NGO/Not for profit organization		
(a)	In case of Proprietorship Firm/ Company/NGO/Not for profit organisation _____		
(b)	Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor/Secretary/Director. In case of Partnership Firm _____		
	Name, Father's Name and Residential address of all the partners. _____		
(c)	Note: (Enclose the Registration certificate of Firms or its attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient). In case of Company		
(i)	Regd. No. of the Company		
(ii)	Name and address of the Directors of the company		

6	(Attach separate sheet, if space is insufficient) BANK DETAILS OF BIDDER Banker's name with branch Account type Account number		
7	PAN No. of the Bidder (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax No. of the bidder, if applicable. (Enclose a certified copy of the same)		
9	Bid security of Rs. 18,000/- Deposited vide DD/ banker's cheque No. _____ dated _____ Pay order No. _____ dated _____ drawn on _____ (Name of Bank & branch) *(To be filled in by the Office)		
		Signature of the bidder with seal Name: ----- Designation -----	

* Attached Bid Security : Bidders Cheque/D.D. Tech. Tender Bid.

*Attach separate sheet for details, where required.

*In case of authorized representative signing this document, enclose copy of the authority letter.

कार्यालय.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

कार्य की अनुमानित लागत: 9.00 लाख रुपये

कार्य की प्रतिभूति : 18000/ रुपये

निविदा प्रपत्र मूल्य 500.00

निविदा बेवने की अंतिम तिथि: 20.6.16 को प्रातः 11.30 तक

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 20.6.16 को सायं 2.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि: 20.6.16 को सायं 4.00 बजे तक

ऑटो रिक्शा के बैक पर विनायल स्टीकर द्वार प्रचार प्रसार की दर संविदा हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्तें (वर्ष 2016-17)

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012"[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules will prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व मुख्य कार्यकारी, एसएचएए से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी./बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन जयपुर के पत्ते पर दिनांक 20/6/16 को 2.00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनो बन्द लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं रखे जायेगे। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20/6/16 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

- (अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी, तकनीकी समिति की राय के उपरान्त सफल निविदादाता की ही वित्तीय बीड खोली जावेगी।
- (ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे।
5. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
7. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत किये जाने चाहियें

Check List for documents to be submitted

8. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अटोरी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार कम्पनी/ सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
10. दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुमोदित विनायल स्टीकर मुद्रण कार्य एवं प्रचार प्रसार कार्य करने वाली फर्म निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं अच्छी तरीके से उक्त कार्य करेगी। तथा सभी शर्तों का पालन करेगी तभी इस कार्यालय के द्वारा देय राशि का भुगतान किया जावेगा।
11. स्टीकरों का प्रदाय (supply) जब भी प्राप्त किया जायेगा उसका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे निर्देशों/ अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं अथवा नहीं इस हेतु परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जायेगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इस परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विहित निर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा उन्हें स्वीकार किया जावेगा।

12. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी रवंय की लागत पर बदला जावेगा।
13. आपूर्ति फर्म स्टीकर चिपकाने का कार्य करने से पूर्व अपने माल की निरीक्षण व पुष्टी स्टोर प्रभारी, बीएसबीवाई कमरा नं०. 231 में करवाणी होगी।
14. निविदादाता को ऑटो रिक्शा पर स्टीकर चिपकाने के कार्य के प्रमाण स्वरूप ऑटो रिक्शा चालक का नाम, मो० नं० एवं ऑटो रिक्शा पंजीकरण संख्या की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
15. निरीक्षण/जांच के दौरान यदि टैण्डर शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार कटौती की जायेगी।
16. उक्त निविदा के सम्बंध में प्रीनिविदा मितिदिनांक 8/6/16 को दोपहर 3.00 बजे ली जावेगी।
17. (1) बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत यानि 18000 रूपयें होगी।

18. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

- (1)दर निविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का दो प्रतिशत होगी
- (2)बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
- (3)असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

19. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

- (1)बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात्:
 - (क)जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;
 - (ख)जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
 - (ग)जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;
 - (घ)जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है;

(ड)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

20. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):—

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

21. विनायल स्टीकर मुद्रण कार्य एवं प्रचार—प्रसार कार्य हेतु स्पेशिफिकेशन

1. विनायल स्टीकर सीट (पीवीसी)

A विनायल सीट-- 120 micron

B Printing one side multi colour design and eco solvent printing with sticking Material

C size 2x2 feet

22. निविदादाता को कार्यादेश में दिए गए ऑटो की संख्या पर दी गई अवधि के दौरान ऑटो—रिक्शा पर सही अवस्था में विनायल स्टीकर चिपकाकर प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करना होगा। विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा ऐसा ना पाये जाने पर भुगतान में से कटौती की जायेगी।

23. कार्यावधि के दौरान यदि विनायल स्टीकर कट—फट जाता है या पठनीय अवस्था में नहीं रहता है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

24. निविदादाता ही ये सुनिश्चित करेगा कि इस कार्य हेतु जिन ऑटो—रिक्शा को काम में लिया जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन, टैक्स, न्यायिक या अन्य कोई विवाद लंबित ना हो। यदि किसी ऑटो रिक्शा के किसी भी प्रकार के विवाद के कारण किसी भी प्रकार की कोई देयता या अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

25. किसी ऑटो—रिक्शा द्वारा बीच में कार्य छोड़ देने पर या अन्य किसी कारण से कार्य बंद कर देने पर उसके स्थान पर दूसरा ऑटो—रिक्शा दो दिवस में उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी अर्थात किसी भी दिये गए समय पर संचालित ऑटो की संख्या कार्यादेश में दिए गए ऑटो की संख्या से कम नहीं होगी वाहिए। ऐसा पाये जाने पर निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान में कटौती की जायेगी।

26. स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा इस कार्य का भुगतान सिर्फ निविदादाता को ही किया जायेगा। यदि निविदादाता ऑटो—रिक्शा चालको को भुगतान करने में असमर्थ रहता है तथा इस वजह से ऑटो—रिक्शा द्वारा कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न की जाती है तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई

जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथापि ऐसी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा निविदादाता के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

27. आपूर्ति अवधि **Delivery period**

27 निविदा प्रपत्र में उल्लेखखीत किये गए स्पेशिकेशन के नमूना स्टीकर को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएचएए या उनके द्वारा नामित अधिकारी से कार्यादेश देने के 10 दिवस के भीतर अनुमोदित करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा नमूने के अनुमोदित होने के अगले 20 दिवस में कार्यादेश के अनुसार सभी ऑटो-रिक्शा पर स्टीकर चिपकाकर कार्य आरम्भ करना होगा। ऐसा नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (**Liquidated Damages**) राशि वसूली की जावेगी।

28. परिसमापित नुकसानी (**Liquidated Damages**):—परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:

- (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए; 5%
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए। 10%
- (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करने समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

29. भुगतान :-

1. राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी राजस्थान जयपुर द्वारा ऑटो रिक्शा के बैक पर विनायल स्टीकर द्वार नियत प्रक्रिया द्वारा प्रचार प्रसार होने पर भुगतान किया जायेगा।
2. निविदादाता को इस कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरांत बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। निविदादाता को कार्यादेश में दिये गए ऑटो पर स्टीकर चिपकाकर फोटो उपलब्ध करवाने होंगे जिसमें ऑटो, उसके बैक पर चिपका हुआ विनायल स्टीकर, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा डाइवर दिखना अनिवार्य होगा। यह फोटो निविदादाता को कार्यादेश के 35 दिन के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी को उपलब्ध कराने होंगे। यदि निविदादाता द्वारा ये फोटो उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं तो कार्य पूर्ण होने के उपरांत भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ऑटो-रिक्शा का वैरीफिकेशन किये जाने पर यदि कार्य निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान में से कटौती की जायेगी।
4. प्रदाय कर्ता दर संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से ऑटो रिक्शा के बैंक पर विनायल स्टीकर द्वार प्रचार प्रसार विधिवत करेगा।
5. उक्त ऑटो रिक्शा के बैंक पर विनायल स्टीकर द्वार प्रचार प्रसार का कार्य फर्म को अपने खर्च पर विभाग से आदेश मिलने पर निर्धारित अवधि में प्रारम्भ कर पूर्ण करना होगा। इसके लिए दर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय जैसे (पैकिंग/परिवहन आदि) देय नहीं होगा।
30. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
31. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
32. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्च एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
33. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो
जीडीआर एक्ट के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
34. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से रत्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
35. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यवाही अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरस एजेंसी का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।
36. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।
37. संविदा का समग्र संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

38. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा शर्तें उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं RTTP ACT एवं Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगी।
39. बोलीदाता द्वारा पैन कार्ड की छाया प्रति एवं वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा से साथ पेश की जावेगी।
40. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (**Correction of arithmetic errors in financial bids**):— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:—
- (क)इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावीहोगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख)यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग)यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
41. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।
42. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार(**Right to vary quantity**):—
- (1)संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- (2)यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (3)अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियों में

बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी --

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

43. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (**Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award**):-- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण शीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

44. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (**Performance Security**):-- सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मागले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :-

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

45. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (**Forfeiture of Performance Security**):-- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3)कार्य सम्पादन प्रतिभूतिको समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

46. करार का निष्पादन (Execution of agreement):—

- (1)सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
- (2)यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
- (3)बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर, रु. 500/- मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।
- (4)करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

47. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

- (1)उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (2)सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (3)उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आवरण में लिप्त नहीं होगा;
- (4)उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (5)उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (6)उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (7)हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (8)पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

48. हित का विरोध (Conflict of interest):—

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

49. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:—अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुगचित कार्रवाई कर सकेगी।

50. अपील का प्रारूप:—

- (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती।

51. अपील फाइल करने के लिए फीस:-

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

52. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी।
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
- (5) विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान एवं द्वितीय अपील अधिकारी अधिशाषी समिति, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

निविदादाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व पूर्ण पता मोहर
सहित

प्रारूप सं. 1
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसकेविरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपिसंलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसीविनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना :

.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the the work of advertisement of Bhamashah Swathaya Bima Yojna by pasting vinyle stickers on back side of auto rikshaws at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instuctions issued by the CEO, RSHAA from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC bearing No.Dt.....for Rs./- {.....} drawn on-on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt,. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the prtners or reperaentaives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresse of the parthers in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Address:

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted toFor advertisement of Bhamashah Swathaya Bima Yojna by pasting vinyle stickers on back side of auto rikshawsin response to their Notice Inviting Bids No.Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

ANNEXURE-B

STATEMENT OF ANNUAL TURNOVER

The average annual turnover of M/s. _____
address _____
for the past one year is and certified that the statement is true and correct.

S. NO.	Financial Years	Turnover in Laes (Rs)
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
	Total	- Rs. Laes
	Average turnover per annum	- Rs. Laes

Date:-
Place:-

Signature of Auditor/Seal
Chartered Accountant
(Name & Address)
Tel. No.
Mob. No.

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

ANNEXURE-C

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have performed following works as desired in eligibility criteria as per details given below:-

Calendar Year	Order Placed by [full address of purchaser with telephone & Fax no.]	Order No. and Date	Date of Completion of delivery		Remarks indicating reasons for late delivery, if any	Has the work centred satisfactory?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7
2013-14						
2014-15						
2015-16						

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of bidder.

Date:-

Signature of bidder with Seal Place:-
Name
Address

राजस्थान सरकार
कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फोन नं० 0141-2221590)

वित्तीय निविदा

1. विनायल स्टीकर मुद्रण कार्य एवं स्टीकर को एक हजार ऑटो रिक्शा पर चिपकाकर प्रचार-प्रसार कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दर । (वित्तीय वर्ष 2016-17)
2. निविदा दाता का नाम :
- पूरा पता :
3. कार्यालय का पता:
4. संबोधित:-
5. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : दिनांक
6. किये जाने वाले कार्य की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र० सं०	आइटम	दर प्रति ऑटो रिक्शा प्रति माह मुद्रण कार्य, पेस्टिंग एवं प्रचार प्रसार (समस्त व्यय एवं कर सहित)	
		अंको में	शब्दों में
1	विनायल स्टीकर मुद्रण कार्य (निविदा शर्तों में निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार) मय स्टीकर को एक हजार ऑटोरिक्शा पर चिपकाकर प्रचार-प्रसार (प्रति माह) दर संविदा एक वर्ष हेतु (विभाग द्वारा दरे अनुमोदित करने की तिथि से)		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील व पता

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

Annexure-D

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME.....

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without any deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartilization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Assurance Agency, Raj- Jaipur

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/ us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders Chief Executive Officer, State Health Assurance Agency Jaipur from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER

NAME:

ADDRESS: